

**ग्राम पंचायत तिंदी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016**

भाग—एक

- 1 प्रस्तावना (क):—** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तिंदी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

(i) प्रधान:—

क्र०सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती चम्पा देवी	1.4.13 से 31.3.16

(ii) सचिव:—

1	श्री राजीव कुमार	1.4.13 से 31.3.16
---	------------------	-------------------

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:— ग्राम पंचायत तिंदी के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना	—
2	7	राजस्व वसूली शेष पाया जाना	0.38
3	8	अनुदानों का उपयोग न करना	25.18
4	9	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	6.59
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	5.33

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:—

ग्राम पंचायत तिंदी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा

दिनांक 28.10.16 (A.N.) से 2.11.16 (F.N.) तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 4/13, 7/14 व 9/15 तथा 1/14, 3/15 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:—

ग्राम पंचायत तिंदी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000/— बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या VD (211)/2016-195, दिनांक 31.10.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत तिंदी से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:—

ग्राम पंचायत तिंदी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत तिंदी की स्वस्त्रोत व अनुदानों की संकलित वित्तीय स्थिति अवधि 4/13 से 3/16 तक निम्न प्रकार से थी:—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	982862.92	4390028	38937	5411827.92	4526722	885105.92
2014—15	885105.92	7163491	48610	8097206.92	6166053	1931153.92
2015—16	1931153.92	5440267	56206	7427626.92	3898395	3529231.92

नोट:— उपरोक्त वित्तीय स्थिति बैंक खातों से तैयार की गई है।

ग्राम पंचायत तिंदी के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट-2** में दिया गया है तथा रोकड़ बहियों के अनुसार स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-3 (क) से 3 (घ)** में दिया गया है।

4.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार न करना:—

ग्राम पंचायत तिंदी की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अन्तिम शेष की गणना व बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण,

रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है जोकि उक्त नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 व 10 (1) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का मिलान बैंक खातों से करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना:—

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि दिनांक 26.4.13 से 15.5.13 तक ₹15365 को हस्तगत रखा गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन फार्म-11 में तैयार न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म-11 के स्थान पर कार्यवाही रजिस्टर में सामान्य तौर पर तैयार किया था। अतः बजट प्राक्कलों को नियमानुसार फार्म-11 में तैयार न करने के का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार न करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.38 लाख वसूली हेतु शेष:—

पंचायत राजस्व की स्व स्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹37748/- की वसूली शेष थी।

(i) गृहकर (परिशिष्ट-4)

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013-14	23430	10756	34186	15365	18821
2014-15	18821	10756	29577	—	29577
2015-16	29577	10756	40333	14585	25748

(ii) मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2013-14	6000	2000	8000	—	8000
2014-15	8000	2000	10000	—	10000
2015-16	10000	2000	12000	—	12000

अतः उपरोक्त पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान ₹25.18 लाख का उपयोग न करना:—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक प्राप्त अनुदान ₹2518065/—(परिशिष्ट-5) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित समय के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-2 सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ता है। अतः अनुदान की राशि को व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अस्थाई अग्रिमों ₹6.59 लाख का समायोजन शेष:—

पंचायत की रोकड़ बहियों की जाँच पर पाया गया कि 31.3.16 तक ₹658671 के अस्थाई अग्रिम की राशि विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार भुगतान की गई थी तथा उक्त राशि का समायोजन 31.3.2016 को शेष था। अतः दिए गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

क्र०सं०	अनुदान	रोकड़ बही पृ०सं०	जिसे अग्रिम दिया गया	अग्रिम की राशि
1	VKVNY	42 / 24.11.14	श्री टोंग चंद	135000
2	do	44 / 27.12.14	श्री मोती राम	120171
3	13 th F.C.,	55 / 28.10.15	श्रीमती चम्पा देवी	150000
4	NCR	58 / 11.1.15	श्री सोमा राम	60000
5	NCR	59 / 11.1.15	श्री विरेन्द्र कुमार	22500
6	NCR	59 / 11.1.15	श्रीमती ईजा देवी	20000
7	13 th F.C.	04 / 26.10.15	श्री पवन कुमार	15000
8	VKVNY	03 / 28.12.15	श्री अजदेव	60000
9	SBM	4 / 22.6.15	श्री हरीनाथ	19000

10	do	do	श्री ओमप्रकाश	19000
11	do	do	श्री रूप सिंह	19000
12	do	do	श्री दुनी चन्द	19000
				कुल ₹658671

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/- व इससे अधिक राशि के निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार करके किया जाना था। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच करते समय निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Grant	Cash Book Page No.	Name of Work	Expenditure ₹	Sanctioned Amt.
1	VKVNY	01/10/15	C/O Yuvak Mandal Bhawan, Kuthad	44000	200000
2	do	01/10/15	C/O Retaining wall at Animal foot Path salbut to Rehardi, Salgran	97000	100000
3	13 th FC (ZP)	5/01/15	C/O Gram Panchayat Bhawan, Tindi	200000	200000
4	2515	2/10/15	C/O Retaining wall at Animal foot Path Salbut to Rehardi, Salgran	9500	95500

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.33 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट "6" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹533253 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
--------	------------------

1	T.A. Check Register Form 20
2	Bill Register Form 13
3	Work Register
4	Temporary Advance Register
5	Cheque issue/Receipt Register
6	Stationery Register Form-28
7	stock Register of Consumable articles form 26

13 प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 IWMP के तहत खरीदी गई पाईपों लागत 4.44 लाख का उपयोग न करना:—

अंकेक्षण के दौरान पंचायत की स्टॉक रजिस्ट्रों की जाँच करने पर पाया गया कि I.W.M.P. के तहत प्राप्त अनुदान से M/S H.P. Agro Industries corporation LTD से बिल संख्या 22061 व 22062 दिनांक 27.8.14 द्वारा 63mm व 110mm (Harvel) पाईपों का क्रय ₹443678 में किया गया व स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 10 में दर्ज किया गया है, परन्तु क्रय पाईपों का उपयोग न होने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ा। अतः क्रय पाईपों का उपयोग जिस उद्देश्य हेतु क्रय किए गए थे, न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका:— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्ष:— ग्राम पंचायत तिंदी की रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्ट्रों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(8) 9/2016—खण्ड-1 -1669—1672 दिनांक— 21.03.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

- पंजीकृत
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत तिंदी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल स्पिति स्थित केलांग, जिला लाहौल—स्पिति, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0

हस्ता/—

सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.